न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 09 / 2025(GCMS 2025/57)
(RTI No.: 212561498209855)

गुड्डी देवी उर्फ शारदा देवी पत्नी स्व. री राजिंदर कुमार [illegible] डाकखाना मतलहार तहसील जवाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेशन – 1760[illegible]

बनाम

प्रभारी अधिकारी **राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शारदा देवी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी शारदा देवी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2024 से **दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी,** जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी शारदा देवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 23.10.2025 से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. आपके पत्र संख्या क्रमांक एफ 12(2)(308–अभ्या)राजस्व / 16 / 7281 दिनांक 24.10.2016 (photocopy attached as annex. A) के अनुसार गुड्डी देवी पुत्री मंगत राम को चक नम्बर 22पी में मुरब्बा नम्बर 39 / 35 में 25 बीघा भूमि को जो आवंटन दिनांक 11.04.1973 को किया और आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर दिनांक 24.10.1973 को रद्द दिया गया। कृपया मुझे बताया जावे कि किन शर्तों की पालना न करने पर उपरोक्त मुरब्बा रद्द कर दिया गया।
2. कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि उपरोक्त मुरब्बा जो कि रद्द कर दिया गया और दोबारा श्रीमती लक्ष्मी देवी को पुनः 39 / 35 मुरब्बा जो दिनांक 27.09.1974 को आवंटन हुआ मुझे बताया जाये कि श्रीमती लक्ष्मी देवी कहां कि पौंग बाध विस्थापित थी। मुझे उनके गांव का नाम, मौजा, तहसील, जिला और प्रदेश की जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।

इस कार्यालय के पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible]7.02.2025 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगा[illegible] को अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया था इसके पश्चात [illegible] कार्यालय के पत्र 1535 दिनांक 17.07.2025**(स्मरण पत्र–1)** एवं 4075 दिनांक 1[illegible].2025 **(स्मरण पत्र–2) से** अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। **जबकि** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा :** (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही?, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब [illegible] दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:24 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर